पत्रांक–9 / सै0–विविध (कोर्ट केस)–05 / 2024–.....(9) / रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी समाहर्त्ता, बिहार।

पटना–15, दिनांक–.....

विषय :– **राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत पारित आदेश में Digital Signature Certificate (DSC) का प्रावधान किये जाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–1417(9), दिनांक–03.06.2024 एवं पत्रांक–2090(9), दिनांक–06.08.2024**

महाशय,

आप अवगत है कि राजस्व न्यायालयों की सभी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम, तीव्र तथा भू–विवादों के प्रभावकारी निष्पादन हेतु राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के अन्तर्गत एकीकृत पोर्टल विकसित की गई। इस पोर्टल के माध्यम से अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, जिला समाहर्त्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त के राजस्व न्यायालयों की सभी प्रक्रियाएं पूर्णरूपेण ऑन–लाइन निष्पादित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निदेश निर्गत एवं संसूचित है।

उल्लेखनीय है कि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के अंतर्गत आवेदक / वादी द्वारा आवेदन / वाद दायर करने से लेकर वाद से संबंधित सभी प्रक्रिया (सभी स्तर पर) ऑनलाईन सम्पन्न किये जाने हेतु User Manual की प्रति उपलब्ध कराई जा चुकी है। राजस्व न्यायालयों की सभी प्रक्रियाएँ पूर्णरूपेण राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के अंतर्गत ऑनलाईन निष्पादित करने तथा ऑफलाईन माध्यम से संचालित वर्तमान मामलों (Running Cases) को भी इस पोर्टल पर अपलोड करते हुए ऑनलाईन माध्यम से निष्पादित करने का निदेश संसूचित है। इस व्यवस्था के तहत सभी वादों को ऑनलाईन दायर करने, वादों की सुनवाई संबंधी Cause-list को ऑनलाईन करने तथा सुनवाई की तिथि को पारित अंतरिम आदेश को डिजिटली ऑनलाईन दर्ज करने की व्यवस्था पूर्व से प्रभावी है। लेकिन, अंतिम आदेश को डिजिटली ऑनलाईन दर्ज करने की व्यवस्था नहीं थी।

कतिपय स्रोतों से यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों के आदेशों को पूर्व की तिथि से हीं हस्ताक्षर एवं निर्गत किया गया है। परन्तु, RCMS पोर्टल पर बाद की तिथि में अपलोड किया गया है। पोर्टल पर आदेश अपलोड होने के उपरांत ही इसकी जानकारी आवेदक, अपीलार्थी या विपक्षी को हो पाती है। ऐसी स्थिति में आवेदक, अपीलार्थी या विपक्षी के उच्चतर राजस्व न्यायालयों में अपील अथवा पुनरीक्षण के लिए प्रदत्त वैधानिक अवधि कम हो जाती है, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है।

उपर्युक्त समस्याओं का निराकरण करते हुए राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में ऑन–लाइन व्यवस्थाओं के तहत् ऑफलाईन Ink signed order पारित कर इसे ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था को Discontinue करते हुए ऑनलाईन पोर्टल पर हीं ओदश लिखने तथा इसे Digital Signature Certificate (DSC) से हस्ताक्षरित करते हुए वाद को निष्पादित करने का प्रावधान किया गया है। Digital Signature Certificate (DSC) के प्रावधान संबंधी User Manual की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

अतएव अनुरोध है कि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के अंतर्गत पारित किये जाने वाले आदेश को ऑनलाईन टाईप करते हुए इसे Digital Signature Certificate (DSC) से हस्ताक्षरित कर ही वादों को निष्पादित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं एतद्र्थ संबंधित अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी निदेशित की जाय।

अनुलग्नक– User Manual की प्रति

विश्वासभाजन
ह0/–

(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–विविध (कोर्ट केस)–05/2024–.....(9)/रा0 दिनांक.....
प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–विविध (कोर्ट केस)–05/2024–.....(9)/रा0 दिनांक.....
प्रतिलिपिः– सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–विविध (कोर्ट केस)–05/2024–.....(9)/रा0 दिनांक.....
प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–विविध (कोर्ट केस)–05/2024–336.....(9)/रा0 दिनांक.....31.01.2025
प्रतिलिपिः– विभागीय आई0 टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जय सिंह),
सचिव। 31/1/25

बिहार सरकार

Department of Revenue and Land Reforms

Revenue Court Management System
User Manual
(Order writing online and digital signature sign)

Published by:

IT Cell,
Department of Revenue
and Land Reforms
Patna

How To Upload Online Order:

Step-1: Register your **DSC** FROM '**DSC Registration**' menu in your login.

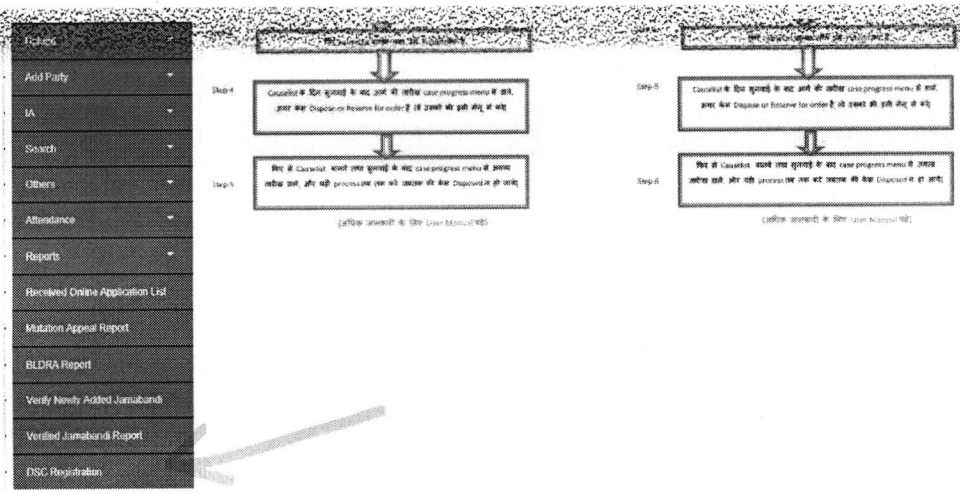

Step-2: As clicked on '**DSC Registration**' menu, below page will open.

Step-4: Click on button '**Register DSC**' and your login will get registered with DSC.

Step5: Now, You are ready to upload online order. Click on 'Upload' menu in your login and here you will see two new option to upload online order.

1) Publish Order
2) Edit Online Order

As show below:

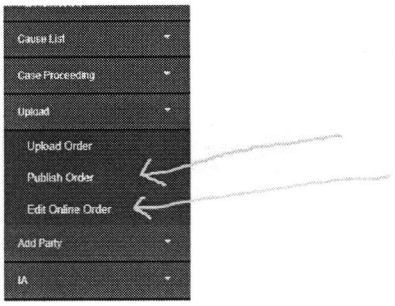

1) Publish Order: This option is provided to upload new online order. As you click on '**Publish Order**', page will open as shown below.

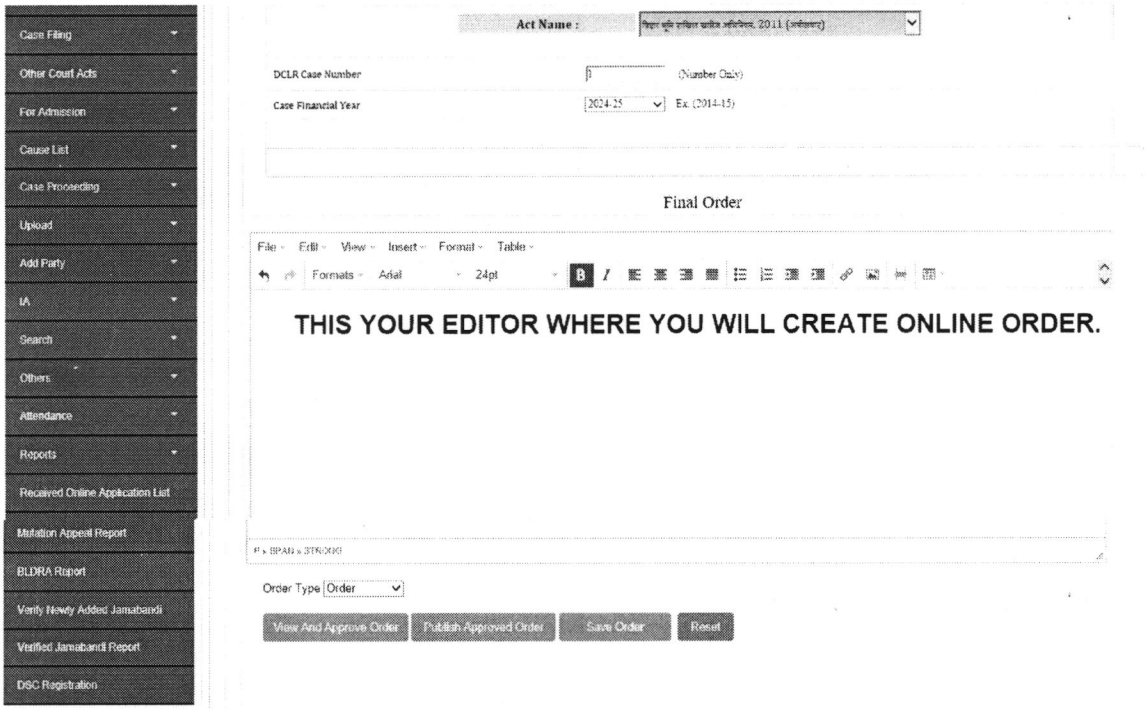

Here You get three buttons as:

a) **View And Approve Order**: Once you create your order. You need to verify the order and if no any further changes required you will have to approve the order with DSC authorization. As show below:

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

REVENUE COURT MANAGEMENT SYSTEM

27-Jan-2025

बिहार भूमि

ORDER SHEET

MA-1 / 2021-22

PETITIONER : KANTI DEVI, DIST-PATNA
VERSUS:
RESPONDENT : KANTI DEVI, DIST-PATNA

APPEARANCE (ADVOCATE):

FOR THE PETITIONER :
FOR THE RESPONDENT :

PRESIDING OFFICER : DCLR.PATNA
DATE OF ORDER : 27/01/2025

ORDER

DATE OF ORDER	ORDER	REMARKS
	Paragraphs 16.8(d) & (e) of the report of the said Committee envisage that Article 348 of the Constitution may be amended to enable the Legislative Department to undertake original drafting in Hindi. After the amendment of Article 348 of the Constitution, High Courts/Supreme Court should be asked to start delivering their judgments and decrees etc. in Hindi so that large number of Government Departments, who are carrying out judicial/ quasi-judicial functions, could be able to deliver orders in Hindi. At present, these departments are unable to pass orders in Hindi, because the appeal against their orders in High Courts/Supreme Court would have to be conducted in English.	

Add Digital Signature

Click on '**Add Digital Signature**' and as it will be digitally signed then you can publish the order.

Note: After authorizing the order you will not to have make any changes to the order before publishing it, otherwise your will have to re-authorize it and then you can publish it.

b) **Publish Approved Order**: Once you approve the order you can publish it.

c) Save Order: You can save the order as draft to later publish it.

2) **Edit Online Order: This menu is Provided to edit the order and publish it which orders are saved as draft for later use.**

Here you select the act name and provide the case and year for which you want to create the order.

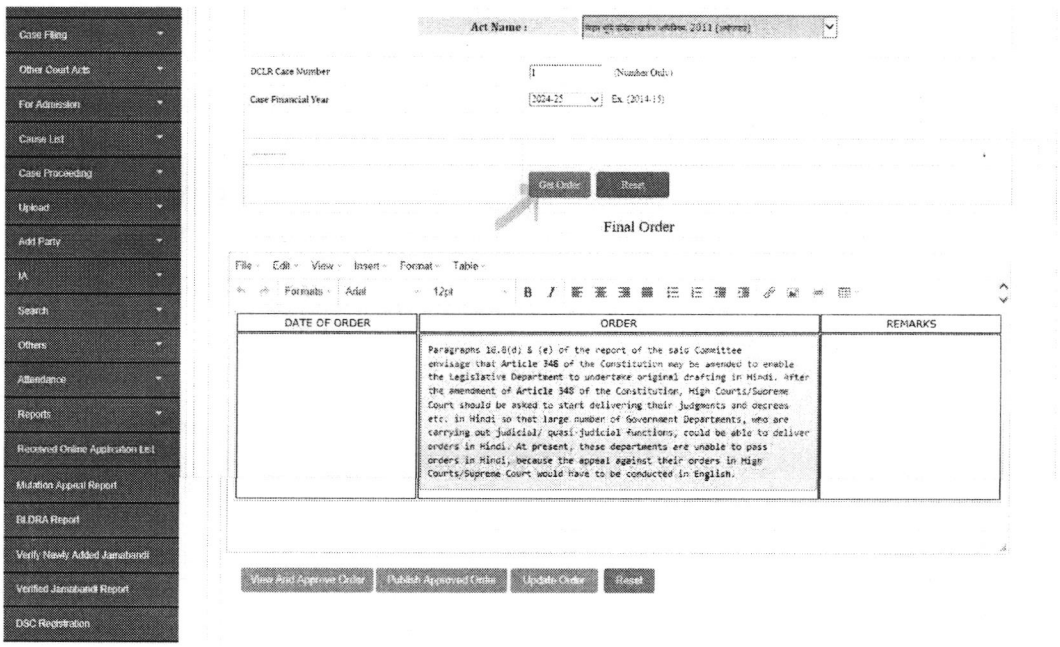

Just click on 'Get Order' and you can view your order in editor.

Here you can see the three buttons which works same as defined for 'Publish Order' menu.

!!THANK YOU!!